न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 98/2022 बउनवानी डॉ भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार पुत्र श्री शेर सिंह यादव, निवासी 34, अल्कापुरी जयपुर

GCMS No-2022/167

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.10.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 29.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:— 1. यह है कि उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय पत्रांक राजस्व/विविध/2022/650 दिनांक 27.5.2022 की मय संलग्नक प्र0प्रति तथा इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट मय संलग्नक की प्र0प्रति। 2. यह है कि उक्त ठेका लगाने तथा उक्त पत्रांक मे वर्णित व्यक्तियों रामचरण उर्फ मोटा गुर्जर, रामजीलाल गुर्जर प्रधान लडडू गुर्जर तथा मदन उर्फ खुरर्या पुत्र रामजीलाल के संबंध में थानाधिकारी खण्डार/तहसीलदार खण्डार से प्राप्त जॉच रिपार्ट व एसएचओ खण्डार द्वारा पाबंदी के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की प्र0प्रति। 3. यह है कि उपजिला कलेक्टर के कार्यालय पत्रांक राजस्व/विविध/2021/215 – 216 दिनांक 27.7.2020 एवं समसंख्यक 352 दिनांक 31.5.2021 एवं जिला कलेक्टर कार्यालय के पत्रांक एफ.2 (5)/प्रा.जॉच/भू.अ./2021/3343 दिनांक 25.6.2020 की पालना मे जिला सवाईमाधोपुर को प्रेषित जॉच रिपोर्ट मय संलग्नक की प्र0प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ()/2022/1451 दिनांक 11.10.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.5.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक/सूकाअ()/2022/1448 दिनांक 4.10.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक/सूकाअ()/2022/1448 दिनांक 4.10.2022 से अपीलान्ट [illegible] करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। [illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:36:14 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर